POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 23.11.2023

1.नारकोटिक्स सैल गौतमबुद्धनगर व थाना बादलपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गाँजे की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तो को मय 02 क्विंटल 48 किलोग्राम गाँजा व एक अशोक लीलैण्ड कैन्टर के साथ किया गया गिरफ्तार।

:- गिरफ्तार करने वाली टीम को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा 10 हजार रूपये के इनाम से पुरष्कृत किया गया है।

घटना क्रम का विवरण-- दिनांक 23.11.2023 को नारकोटिक्स सैल गौतमबुद्धनगर व थाना बादलपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये दुजाना पुलिया के पास थाना बादलपुर क्षेत्र से गाँजे की तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों 1. रामवीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह 2. अभिषेक पुत्र रामवीर को **गिरफ्तार** किया गया। कब्जे से कुल 02 क्विंटल 48 किलोग्राम गाँजा बरामद। उपरोक्त घटना में एक अभियुक्त गजेन्द्र पुत्र कृपाल सिंह निवासी भगतपुर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद वांछित है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे है। अभियुक्तों द्वारा कैन्टर वाहन में स्क्रैप केबल के नीचे गाँजे को छुपाकर तस्करी की जाती है। उनके विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 345/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण--

1. रामवीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी सर्वा खेडा थाना कुंडा जिला उद्यम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) उम्र 54 वर्ष
2. अभिषेक पुत्र रामवीर सिंह निवासी सर्वा खेडा थाना कुंडा जिला उद्यम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) उम्र 32 वर्ष
3. (वांछित) गजेन्द्र पुत्र कृपाल सिंह निवासी भगतपुर थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 345/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. कुल 02 क्विंटल 48 किलोग्राम गांजा।
2. एक अदद अशोक लीलैण्ड कैन्टर रजि0 नं0 यूपी 21 सीटी 1684 सीज अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट।

2.आबकारी विभाग व थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से शराब का सेवन कराने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से हरियाणा मार्का 05 पेटी अवैध शराब बरामद।

घटना क्रम का विवरण-- दिनांक 23.11.23 को आबकारी टीम व थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कांतम फॉर्म हाउस यमुना डूब क्षेत्र अवैध रूप से शराब पिला रहे 04 अभियुक्त 1.वकुल अग्रवाल पुत्र राजीव कुमार 2.राहुल कुमार पुत्र कृष्ण पाल 3.राहुल कसाना पुत्र विजय कसाना 4.सूरज सिंह पुत्र संजय सिंह को **गिरफ्तार** किया गया है। थाना एक्सप्रेस-वे नोएडा के क्षेत्रान्तर्गत कांतम फॉर्म हाउस यमुना डूब क्षेत्र मे आयोजित एक समारोह में अभियुक्तों द्वारा बिना लाइसेंस के समारोह के दौरान अन्य व्यक्तियो को अवैध शराब पिलाया जा रहा था। अभियुक्तों के कब्जे से विभिन्न ब्रांड की 05 पेटी अग्रेंजी शराब हरियाणा मार्का बरामद की गई है|

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. वकुल अग्रवाल पुत्र राजीव कुमार निवासी रामनगर, थाना मानसरोवर पार्क, शाहदरा, उम्र- 25 वर्ष।

2. राहुल कुमार पुत्र कृष्ण पाल निवासी सागरपुर, थाना सागरपुर, दिल्ली, उम्र- 25 वर्ष।
3. राहुल कसाना पुत्र विजय कसाना निवासी न्यू डिफेंस कॉलोनी, भोपुरा, थाना टीलामोड़, गाजियाबाद उम्र-29 वर्ष।
4. सूरज सिंह पुत्र श्री संजय सिंह निवासी शौर्य अपार्टमेंट, राजेंद्रनगर, सेक्टर-2, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद उम्र-35वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 196/23 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. विभिन्न ब्रांड की 05 पेटी अग्रेंजी शराब हरियाणा मार्का।